कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मन्दसौर(म.प्र.)

क्रमांक : 245 / सांख्यिकी / 2024 मन्दसौर, दिनांक 02 / 04 / 2024

–संशोधित कार्य विभाजन आदेश–

रजिस्ट्री जबलपुर के आदेश क्रमांक 150 दिनांक 23.02.2024 के द्वारा श्री डालचंद की पदस्थापना व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नारायणगढ़ के पद पर हो जाने से **मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15** में प्रदत्त शक्तियो का उपयोग करते हुए कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 196 दिनांक 11.03.2024 में निम्नानुसार नोट प्रतिस्थापित किया जाता है :–

नोटः–

इस कार्यालय के संशोधित कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 405 दिनांक 27.06.2023 के द्वारा राजस्व तहसील मल्हारगढ़ के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व्यवहार न्यायाधीशज्ञ वरिष्ठ खण्ड का न्यायालय रिक्त होने से पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ मन्दसौर को प्रदान किया गया था ।

अब चूंकि नारायणगढ़ में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड की पदस्थापना हो गई है अतः पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मन्दसौर के द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नारायणगढ़ के स्तर के जिन प्रकरणों का निराकरण किया गया है ऐसे समस्त प्रकरणों (रिमाण्ड पर या अन्यथा प्रपत्र प्रस्तुत होने पर) की सुनवाई व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नारायणगढ़ द्वारा की जावेगी ।

सही / –
(अजय कुमार सिंह)
प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मन्दसौर

पृ.क्रमांक 1091 / सांख्यिकी / 24 मन्दसौर, दिनांक 02 / 04 / 24

आदेशानुसार प्रतिलिपि –

1– श्रीमान पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मन्दसौर
2– श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नारायणगढ़
3– श्रीमान अध्यक्ष अभिभाषक संघ, मन्दसौर / नारायणगढ

की ओर सूचनार्थ प्रेषित है ।

प्रशासनिक अधिकारी
मन्दसौर